

महत्वपूर्ण एवं खास

जिला न्यायालय के मालखाना में पड़े सामानों की नीलामी 2 अगस्त को

रायगढ़ । दण्डिक प्रकरणों से संबंधित न्यायालय से निर्णय उपरांत प्राप्त संपत्ति मेंमे पर पारित आदेशानुसार 3 नग सायकल, 01 नग स्टील आलमारी, 4 नग सबमर्सिबल पंप, 50 नग कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, 10 नग कांस, पीतल बर्तन एवं लोहा समान से संबंधित कुल 26 प्रकरणों से संबंधित प्रकरणों की संपत्तियों की नीलामी 2 अगस्त 2021 को न्यायालयीन समय में जिला न्यायालय के प्रांगण में नीलाम किया जाएगा। दण्डिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय, बार रूम एवं कार्यालय कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर चर्चा किया गया है। नीलामी शर्तों की विस्तृत जानकारी के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ के वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं।

विजयनगर के पंचायत सचिव दादू सिंह की हुई सेवा समाप्ति

रायगढ़ । जिला पंचायत के मुख्य कार्यालयन अधिकारी डॉ.रवि मित्तल ने आदेश जारी कर जनपद पंचायत धरमजयगढ़ ग्राम पंचायत विजयनगर के तात्कालिन पंचायत सचिव दादू सिंह को विभागीय कार्यों में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता के चलते छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम 1999 के 5 शास्तियां (ख)(सात)के तहत सेवा से पदच्युत कर दिया है। ज्ञात है कि पेंशन एवं राशन का कार्ड का सत्यापन नहीं कराया जाना, मनरेगा में चल रहे नकवा, गरुवा, घुरवा एवं बाड़ी के निर्माण में लापरवाही बरतने एवं 14 वें वित्त की राशि 7 लाख 44 हजार रुपये का अनियमित व्यय किया जाना जैसे आरोप अधिरोपित किए गए थे। जिसकी विभागीय जांच की गई। जांच में सभी आरोप प्रमाणित होने पाए गए। जिसके पश्चात छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील)नियम 1999 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये दादू सिंह को सेवा से पदच्युत किया गया।

कृषि स्थायी समिति की बैठक 26 जुलाई को

रायगढ़ । कृषि स्थायी समिति की बैठक 26 जुलाई 2021 को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत रायगढ़ के सभाकक्ष में आहूत की गई है। बैठक में कृषि विभाग खाद, बीज वितरण, गोधन न्याय योजना, उद्यानिकी विभाग किसानों के खेत फेसिंग, समस्त विभागीय योजनाओं एवं सभापति की अनुमति से अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

खरसिया क्षेत्र में तीन जुआ फड़ से 12 जुआरी पकड़ा

रायगढ़ । चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के नेतृत्व में दिनांक 17/07/2021 की रात्रि कन्या भवन के बाजू में तीन जुआ फड़ से जुआरियान- 1-संजय केंवट पिता सिहारी लाल उम्र 26 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया, 2- किशन बरेट पिता शंकर लाल बरेट उम्र 18 साल पुरानी बस्ती खरसिया, 3- अमन अग्रवाल पिता राधेश्याम उम्र 23 साल वार्ड क्रमांक 16 खरसिया, 4- महेश शर्मा पिता की आर0के0 शर्मा उम्र 36 साल साकिन मोहापाली रोड खरसिया तथा दूसरे जुआ फड़ से 1- आनंद अग्रवाल पिता सुभाष चंद अग्रवाल उम्र 43 साल साकिन सुभाष चौक खरसिया, 2- पप्पू राजपुत पिता शैकी लाल राजपुत उम्र 24 साल साकिन अटल आवास खरसिया, 3- अजित जायसवाल पिता संतोष उम्र 21 साल साकिन अटल आवास खरसिया, 4-मो0 समीर पिता मो0 सम्मी उम्र 18 साल साकिन पुरानी बस्ती खरसिया बताये एवं एक अन्य जुआ फड़ पर आरोपी 1- राजू पिता रामापीश उम्र 24 साल साकिन छपरीगंज खरसिया, 2- बलराम अग्रवाल पिता सुरेश कुमार उम्र 30 साल साकिन पोस्ट आफिस रोड खरसिया, 3- मनीराम पिता गोरेलाल केंवट उम्र 18 साल साकिन मटखनवापर खरसिया, 4- सिद्धांत शर्मा पिता लक्षेश्वर शर्मा उम्र 27 साल पुरानी बस्ती खरसिया को पकड़ा गया। तीनों जुआ फड़ से क्रमशः 4,800 रुपए, 4,600 रुपए एवं 4,400 रुपए, जुमला 13,800 रुपए, की जमी की गई है। आरोपियों पर सार्वजनिक धृत अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्रवाई की गई है।

बस्तर में पेसा कानून लागू करने पर सरकार कर रही मंथन : कवासी लखमा

» महिला उद्यमी से भिलाई में हुए दुर्व्यवहार की जांच होगी

रायपुर (आरएनएस)। भूपेश सरकार के ढाई साल के कार्यकाल में इतने विकास के कार्य हुए हैं, जितने कार्य दोनो पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल नहीं हुए थे। सरकार का दृष्टिकोण अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना है। आदिवासियों के विकास के लिए वनाधिकार पट्टे बांटने वाली पहली सरकार कांग्रेस है। देश में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विभिन्न उद्योगों के लिए आर्बिट्रि भूमि का संबंधित उद्योगों द्वारा समयावधि में उपयोग नहीं करने पर



आदिवासियों की भूमि वापस कराई। उदात्तशय के विचार प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उद्योग वाणिज्य एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। लखमा ने बताया कि वर्षों से पेसा कानून बस्तर में लागू करने की मांग विभिन्न समूहों द्वारा की जाती रही है। उक्त मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गंभीर मंथन चल रहा है। सरकार शीघ्र ही बस्तर में पेसा

कानून लागू करेगी। दुर्ग-भिलाई के नंदिनी क्षेत्र में महिला उद्यमी पूजा अग्रवाल जाह्नवी इंटरप्राइजेस द्वारा नियमानुसार आर्बिट्रि भूमि पर गृह उद्योग लगाने के दौरान भूमि के ही कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा समीप ही स्थित फौजी नगर के निवासियों को भड़काकर उनके आवास में लाठी,पथरबाजी करते हुए जान के खतरे के संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर पर कवासी लखमा ने कहा कि महिला उद्यमियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को सरकार सहन नहीं करेगी। वे जिला कलेक्टर से इस संबंध में दोषी तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश का महापरी के दौरान दूसरी

लहर के समय हमने अनेक पत्रकारों जन नेताओं एवं आम लोगों को खोया है, जिसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं होगी। वे मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मृत पत्रकार साथियों के परिजनों को 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है। कोरोना महामारी के दौरान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न विभागों को वर्चुअल बैठक के माध्यम से निर्देश देते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बस्तर की नक्सल समस्या पर लखमा का कहना था कि मिलजुलकर समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

जमीन पर सो रहे युवक को हाईवा वाहन ने रौंदा, चालक के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। हाईवा वाहन चढ़ने से जमीन पर सो रहे युवक की मौत हो जाने की रिपोर्ट धरसीवा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिलतरा धरसीवा निवासी राजकुमार सिंह 35 वर्ष पिता लल्लु सिंह ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 18 जुलाई को शाम 7 बजे सिलतरा गोदावरी पावर प्लांट गेट नंबर 03 के पास जमीन पर सोये हुए रवि कुमार कन्हार 22 वर्ष पिता सखी कहरा निवासी कुकराव सिंधी मध्यप्रदेश के उपर हाईवा क्रमांक सीजी 22 एच 2751 के चालक ने लापरवाही पूर्वक



वाहन चलाते हुए रौंदा दिया। जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामले की शिकायत पर पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ मार्ग कायम कर धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

हाथी दांत से बनी सामाग्री के साथ एक गिरफ्तार

महासमुंद (आरएनएस)। हाथी के दांत से बनी बहुमूल्य सामग्री को बेचने ग्राहक तलाश रहे एक युवक को साइबर सेल व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना से 100 मीटर दूर कचहरी चौक शनि मंदिर के पास पकड़ा है। इसके पास से सात सामग्री बरामद की है, जिसका बाजार मूल्य पांच लाख 12 हजार रुपए आंकी गई है। जल्द सामग्री में पूर्व शताब्दी की नायाब कलाकृति उकेरी गई है। हाथी दांत के द्वारा बनाई गई सामग्री आरोपी के पिता ने सन 1990 में इसे घर में लाकर छुपाया था, जिसे आरोपी बेचने के लिए ग्राहक



तलाश रहा था, उसी समय पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 39, 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एसडीओपी नारद सूर्यवंशी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हाथी दांत के बने सामग्री के साथ वार्ड नं. 10 डगा चैक खरियार रोड ओडिशा वर्तमान श्रीराम कालोनी महासमुंद निवासी सोनू मित्तल पिता नरेश मित्तल (34) को गिरफ्तार किया

है। उन्होंने बताया कि शनिवार को शनि मंदिर के पास एक युवक कलाकृति वाले वन्यप्राणी हाथी दांत बहुमूल्य वस्तु को बेचने के लिए ग्राहक के पिता के संदिग्ध रूप से चुम रहा था। सूचना मिलते ही टीम साइबर सेल व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम उक्त घटना स्थल पर घेराबंदी कर पकड़ा गया है। पूछताछ के दौरान अपना नाम सोनू मित्तल वार्ड नं. 10 डगा चैक खरियार रोड ओडिशा वर्तमान श्रीराम कालोनी महासमुंद का निवासी बताया। इसके पास से सात सामग्री बरामद किए गए हैं, जो हाथी दांत से बने हुए हैं। उस सामग्री में पूर्व शताब्दी की नायाब कलाकृति बनी हुई है। पूछताछ के दौरान युवक गोलमोल जवाब दे रहा था। इसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी महासमुंद शेर सिंह बंदे, साइबर सेल प्रभारी उनि. संजय सिंह राजपुत, उनि विनोद शर्मा प्रआर. प्रकाश नंद, श्रवण कुमार दास, मिनेश सिंह ध्रुव, आरक्षक रवि यादव, चम्पलेश सिंह ठाकुर, पीयूष शर्मा, छत्रपाल सिन्हा, शुभम पाण्डेय, लाला कुंरे शामिल थे।

सूरत में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे सात आरोपियों रायपुर रेलवे पुलिस ने पकड़ा

रायपुर (आरएनएस)। डकैती की घटना को अंजाम देकर ट्रेन से भाग रहे सात आरोपियों को रायपुर के रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच सूरत सिटी ने पोस्ट प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल रायपुर की मदद मांगी थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि गाड़ी क्रमांक 08406 सूरत-पुरी स्पेशल ट्रेन में डकैती के कुछ आरोपी सवार होकर भाग रहे हैं। आरोपियों में से दो की फोटो वाटसअप के माध्यम से भी उन्होंने भेज दी थी।



इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संजय कुमार गुप्ता,मंडल सुरक्षा तिवारी,प्रधान आरक्षक पीके गौराहा,आरक्षक एचएस सोलंकी रेसुब पोस्ट रायपुर ने रायपुर से महासमुंद तक सघन रूप से ट्रेन में चेकिंग की। उस दौरान उक्त गाड़ी कोच नंबर एस 6 में वाट्सअप से भेजे गए फोटो से मिलते जुलते दो व्यक्ति और उनके साथ पांच अन्य व्यक्ति सफर करते पाए गए। सातों व्यक्तियों को रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने पकड़ लिया। उन्होंने 12 जुलाई को सूरत सिटी में एक व्यक्ति से पैसे और मोबाईल लूटने की वारदात करना स्वीकार किया। रेलवे सुरक्षा बल ने सातों व्यक्तियों की फोटो क्राइम ब्रांच सूरत

सिटी के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि प्रार्थी ने पहचान की गई कि सातों व्यक्ति लूट की घटना में सम्मिलित थे। सूरत से पुलिस बल सड़क मार्ग से अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए रवाना हो रही है। सातों आरोपियों को महासमुंद में उताकर रेसुब पोस्ट रायपुर में लाया गया है तथा इसकी सूचना क्राइम ब्रांच सूरत सिटी को दी गई। सूरत सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा जानकारी दी गई कि 12 जुलाई को सूरत सिटी अंजनी रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति से इन आरोपियों के द्वारा नगद सात लाख 50 हजार रुपये और तीन मोबाईल की लूट की घटना को अंजाम दिया था।

सिटी के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि प्रार्थी ने पहचान की गई कि सातों व्यक्ति लूट की घटना में सम्मिलित थे। सूरत से पुलिस बल सड़क मार्ग से अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए रवाना हो रही है। सातों आरोपियों को महासमुंद में उताकर रेसुब पोस्ट रायपुर में लाया गया है तथा इसकी सूचना क्राइम ब्रांच सूरत सिटी को दी गई। सूरत सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा जानकारी दी गई कि 12 जुलाई को सूरत सिटी अंजनी रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति से इन आरोपियों के द्वारा नगद सात लाख 50 हजार रुपये और तीन मोबाईल की लूट की घटना को अंजाम दिया था।

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

» बेरोजगार को गुमराह कर नगदी 2.50 लाख की गंगीलेकर

कवर्धा (आरएनएस)। बेरोजगार को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली के कबीरधाम में दिनांक -17-07-2021 को प्रार्थी जितेन्द्र पिता अर्जुन पुरैनक उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 08 संकर नगर थाना सिटी कोतवाली जिला कबीरधाम के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी राजकुमार बर्मन पिता बाबूलाल बर्मन उम्र 32 वर्ष साकिन बिरमपुर थाना दाढी जिला वेमेतरा (छ.ग.) द्वारा नौकरी

लगाने के नाम पर 2,50,000 /रु. का धोखाधड़ी किया है। के रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक- 545/2021 धारा 420,506 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त गंभीर प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन एवं उप. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री पी.आर. कुजूर, उप. पुलिस अधीक्षक अथाक श्री बी.आर. मंडावी के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

दो लाख के मवेशियों की चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। सीतामणी क्षेत्र से तीन भैंस व उसके एक बच्चे समेत दो लाख कीमती मवेशियों को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। मवेशी मालिकों की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपित तस्कर की तलाश करने रायपुर में कई स्थान पर दबिशा दी गई, पर वह नहीं मिला। मामले की तस्करी से जोड़ कर देखा जा रहा है। सीतामणी निवासी बबलू यादव पप्पू पशुपालन करते हैं। कोतवाली पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वह भैंस को चारागाह में छोड़ देता है। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उसकी भैंस की चोरी कर ली, उसकी कीमत लगभग दो लाख रुपये है। उसने पुलिस से मामले में

उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपितों को पकड़ने कहा। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और मुखबिरों को सजग किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर अंकुश यीशु और उसके एक मित्र को संदेह के आधार पकड़ कर पूछताछ की, पहले तीनों घटना से मुकरते रहे, पर बाद में पुलिस के समक्ष टूट गए और उन्होंने भैंस चोरी करना स्वीकार कर लिया। साथ ही मवेशी रायपुर भेजने की जानकारी दी। थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने बताया कि आरोपितों ने मवेशी तस्कर सलमान कुशेरी को मवेशी बेचने की बात कही। इस पर पुलिस की टीम बनाकर सलमान की पतासाजी की जा रही है। रायपुर में संभावित इलाके में दबिशा भी दी गई, पर

वहां नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पशु तस्करी करने के मामले में तीनों आरोपितों के साथ कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके संबंध में पतासाजी की जा रही है। संभावना है कि जल्द ही सभी आरोपित पकड़े जाएंगे। इस घटना मवेशी पालकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। उन्हें अपने मवेशियों की चिंता सताने लगी है। जानकारों का कहना है कि क्षेत्र में मवेशी तस्कर गिरोह के सदस्य सक्रिय हो गए हैं और योजनाबद्ध ढंग से चोरी करने जुट गए हैं। प्रदेश से मवेशी चोरी कर अन्य राज्यों में स्थित बुचड़खाना भेजे का मामला पहले भी सामने आ चुका है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी ऐसे लोगों को हासिले बुलंद है।

जादू टोना के शक में बुजुर्ग की हत्या करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

» नवसली पर्चा फेंककर पुलिस को गुमराह करने के प्रयास का हुआ पर्दाफाश



दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के ग्राम कड़मपाल बोडेपारा में जादू टोना करने के शक में बुजुर्ग सुकलू तामो बड़े की लकड़ी से पीट-पीट कर हत्या के मामले में आज किरंदुल पुलिस ने 06 आरोपियों दुलगा कुंजाम, हुंगाराम तामो, सुकलू कुंजाम, भीमा कुंजाम, हुंगा कुंजाम उर्फ कोतवाल

टोना करने के शक में हत्याकांड को अंजाम देने के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 जुलाई की रात को ग्राम कड़मपाल बोडेपारा में सामूहिक हत्या कर पुलिस को गुमराह करने वाले सभी आरोपी को घटना के 03 दिन बाद किरंदुल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या करते वक्त सभी आरोपी मुंह बांधकर घटना

को अंजाम देने के बाद घटनास्थल पर भारी मात्रा में नक्सलियों के तर्ज पर पर्ची फेंक कर इसे नक्सली वारदात बनाकर साफ बच निकलने की योजना के साथ हत्या को अंजाम दिया गया था। जिससे पुलिस छानबीन करते समय नक्सली घटना समझे और मामला खत्म हो जाए। एसडीओपी देवांश सिंह राठौर के अनुसार पुलिस ने शक के आधार पर कुछ ग्रामीणों को बुलाकर पूछताछ की जिसमें संहरी दुलगा कुंजाम से पूछताछ करने पर बताया कि आज से तीन चार

महीना पहले अपने जीजा हुंगाराम तामो का बच्चा मर गया था, बच्चे को सुकलू तामो बड़े जादू टोना कर मार दिया, इसलिए उन्होंने बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सुकलू तामो को जान से मार दिया है। इसमें उनका साथ हुंगाराम तामो, सुकलू कुंजाम, भीमा कुंजाम, हुंगा कुंजाम उर्फ कोतवाल और हुंगा पिता गुड्डु ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमय उत्तरप्रदेश में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे उत्तरप्रदेश सरकार ने मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा तमगई हेतु नं. 330915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं संस्थापक डॉ.सत्येंद्र कुमार शर्मा, (अध्यक्ष), मनसूख उवा-न्यायदाता, एवं नवीन केंद्र के संरक्षक सुनील कुमार, श्रीमती एन.ए.ए. शर्मा, श्रीमती उमेश कुमारी एवं अन्य ने संघ को संरक्षक एवं संस्थापक मान्यता प्राप्त है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

इस संघ का उद्देश्य उत्तरप्रदेश प्रदेश के तमगई जिलों एवं लोक संघ में सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र के स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आर्थिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित फिर्म एवं राशि का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रार्थित एवं पीड़ित व्यक्ति को समर्थन एवं तृप्त, अर्थात् संघ तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित सहायता एवं संस्थापकों की अस्तर के अनुसार व्यवस्था करना मूल उद्देश्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, नै-न्यायिक एवं सामाजिक समस्याएं परिशुद्ध कर संविधान के अनुसार आरक्षक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्रसिद्ध एवं पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए मालवीय संविधान के तहत विधिक सहायता को व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से तमगई कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यटन संरक्षण एवं पर्यटन तमगई घेरा न देवू की आवश्यकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे उत्तरप्रदेश प्रदेश में संविधान के अंतर्गत, कर्मियों के अधिकार, अधिकारियों के अधिकार, अनुसूचित जाति अनुसूचितों के अधिकारों के लक्षण में विधिक एवं नैतिक केंद्र के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा।
- संघ संरक्षण के तहत संघ के द्वारा आर्थिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित फिर्म एवं राशि का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
- संघ द्वारा संचालित संरक्षण एवं सामाजिक विचारों के तमगई जिलों एवं लोक संघ में सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र के स्थापना की जायेगी, और उन्में संघ के द्वारा आर्थिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित फिर्म एवं राशि का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
- संघ सामाजिक कर्तव्यों को दृढ़ करने के लिए आवश्यकता का आश्वासन दे करेगा। संघ देश के भूत भित्ति पर कर्मियों को सम्मान में संरक्षण एवं अधिकार करता है।

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU